



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237612
CG-DL-E-28072022-237612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3247]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3247]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का. आ. 3409(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NE-4 (NH-148N) के कि.मी. 83.300 से कि.मी. 87.200 तक के भू-खंड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NE-4 (NH-148N) के लिए भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड अधिकारी नगर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH148N के कि.मी.	राजस्थान	भरतपुर	सीकरी	1 बांसबुर्जा

		83.3 से 87.2 तक			
--	--	--------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2022/LA3a5]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2022

S. O. 3409(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 83.300 to Km. 87.200 of the NE-4 (NH-148N) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NE-4 (NH-148N) in the State of Rajasthan.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Divisional Officer Nagar	83.3KM To 87.2KM	RAJASTHAN	BHARATPUR	Sikri	1 Bansburja

[F. No. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2022/LA3a5]

RAJESH GUPTA, Director